रवींद्र ने नोएडा से शुरू किया था ठगी का सफर, अलीगढ़ में पहला केस

महाठग

- 2019 में हुआ पहला केस, सोने में निवेश के नाम पर उठाया पैसा
- 14 हजार से सात लाख तक की योजनाएं लांच कर कराया निवेश

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 1500 करोड़ की ठगी के आरोपी दिल्ली निवासी रवींद्रनाथ सोनी ने ये तो सभी से ठगी का सफर शुरू किया लेकिन उस पर पहला मुकदमा अलीगढ़ के इगलास थाने में दर्ज हुआ। अलीगढ़ में उसने डीएफएम जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेडिंग कंपनी की और सोने में निवेश के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। यह कंपनी उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर शुरू की थी, जिसे बाद में बंद कर दिया।

रवींद्रनाथ सोनी ने डीएफएम जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। कंपनी में निवेश के लिए कई निर्धारित स्लैब बनाए गए। इसमें 14 हजार, 35 हजार, 1.40 लाख और सात लाख की अलग-अलग स्कीमें लांच की थी। एसीपी कोतवाली ने बताया कि रवींद्र ने यह कंपनी ललित सरीन के साथ मिलकर खोली थी। कंपनी के एक्जीक्यूटिव आफीसर पुनीत कौशिक का काम लोगों को योजनाएं बताकर निवेश कराना था। इसमें मैनेजर सुनील शर्मा की भी भागीदारी होती थी। लोगों को बड़ा निवेश करने पर सोने की गिन्नी देने और धनराशि दोगुना करने के नाम पर फंसाया जाता था। अलीगढ़ के इगलास थाने में नौ अगस्त 2019 को रवींद्र और उसके साथियों पर धोखाधड़ी में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा छतरपुर एन्क्लेव मैदान गढ़ी दिल्ली के मनीष गुप्ता ने दर्ज कराया था। मनीष से 35 हजार रुपये लेकर आईडी बनाने को कहा गया था लेकिन उनकी आईडी नहीं बनाई गई। उन्हें कहा गया कि नौ और लोगों को कंपनी से जोड़ो तब ही तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा। जिसके बाद मनीष ने तहरीर दी थी। एसीपी के मुताबिक इसी तरह रवींद्र पर दूसरा मुकदमा हरियाणा के पानीपत सेक्टर 13 में दर्ज हुआ और तीसरा मुकदमा लखनऊ के विकास नगर थाने में दर्ज किया गया। यह मुकदमा खुर्रमनगर पाम व्यू लखनऊ निवासी गौहर आलम की तहरीर पर रवींद्रनाथ सोनी, साथी ललित सरीन और मो. फजलुल कदीर के खिलाफ दर्ज किया गया। आरोप है कि रवींद्र और उसके साथियों ने गौहर को एक साल में रकम दोगुना का लालच देकर 45.50 लाख रुपये की ठगी की थी। इसमें 7.45 लाख उन्हें वापस मिले। बाद में और लोगों से निवेश कराने के नाम पर उन्हें रुपये देने बंद कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक उन मुकदमों की डिटेल जुटायी गई है।

14 करोड़ की संपत्ति, रिटर्न भरा 20 लाख

एसीपी ने बताया कि रवींद सोनी ने 2022 से 2025 तक तीन साल का आयकर रिटर्न भरा है। इसमें 19-20 लाख रुपये रिटर्न दाखिल किया गया है। उसने अपने नाम से रिटर्न फाइल नहीं किया जबकि पुलिस की जांच में अब तक 13 से 14 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां सामने आई हैं। इसकी डिटेल आयकर विभाग को साझा की गई है। संपत्तियां कैसे बनाई गईं इसकी जांच भी चल रही है। नोटिस जारी कर आय का स्रोत पूछा जाएगा।

आरोपी रवींद्र।

> रवींद्र की पत्नी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। रवींद्र की सभी संपत्तियों की डिटेल जुटा ली गई है। उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आय के स्रोत और संपत्तियों की खरीदी परोख्त की जानकारी की जाएगी।
> –आशुतोष सिंह, एसीपी कोतवाली

शहर 30s

रामिंदर अरोड़ा अध्यक्ष, सुभद्रा सचिव

कानपुर। ऑल इंडिया ग्रूमेस कॉन्फ्रेंस, कानपुर शाखा की वार्षिक चुनाव बैठक महिला पार्क, सरसैया घाट परिसर में मंगलवार को हुई। चुनाव अधिकारी मंजु बांगर और कार्यकारी संरक्षकों आशा सिंह और हरविंदर कौर की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई। वर्ष 2026-2027 के लिए रामिंदर अरोड़ा को अध्यक्ष, सुभद्रा सक्सेना को सचिव और रेनू अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया पूर्व अध्यक्ष अनीता गर्ग को स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के रूप में नामित किया गया।

दो पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज

कानपुर। केरको ने मंगलवार को दो लोगों पर बिजली चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज की। केरको की रेड टीम को सिविल लाइंस निवासी अतीकउल्लाह और बिटूर के हिंदूपुर निवासी अविनाश के घर में बिजली चोरी मिली। दोनों के खिलाफ परेड के एंटी पॉवर थेफ्ट थाने में बिजली चोरी की रिपोर्ट कराए गई है। बिजली विभाग के इस कार्रवाई से चोरों में हड़कंप मच गया। बिजली चोरी की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

महफूज पर पांचवीं रिपोर्ट, फल विक्रेता की तहरीर पर पत्नी-बेटा और साला भी आरोपी

ठेले वाले के नाम बनाई कंपनी ₹118 करोड़ का किया लेनदेन

शिकंजा

चकेरी, संवाददाता। 1600 करोड़ के अवैध लेनदेन के मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी पर पुलिस का शिकंजा कसता तो पीड़ित भी सामने आने लगे। मंगलवार को एक और पीड़ित की तहरीर पर जाजमऊ पुलिस ने महफूज, उसकी पत्नी, बेटे और साले पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि फल का ठेला लगाने वाले को आरोपी ने कारोबार बढ़ाने के लिए पांच लाख रुपये लोन दिलाने का वादा किया। इसके एवज में आधार और पैन कार्ड ले लिया। उसके नाम पर फर्जी फर्म खोलकर सौ करोड़ से अधिक का अवैध लेनदेन कर डाला। बता दें महफूज पर अब तक पांच मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

जाजमऊ के सरैया निवासी मोहम्मद आजम फलों का ठेला लगाता है। वह महफूज के सरैया स्थित पुराने घर के पास ही रहता है, जिससे उसकी जान पहचान थी। बतौर आरोप महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी ने उसे बैंक से पांच लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद महफूज ने पत्नी सायरा, बेटे फैज, साले महताब और बैंक के दो कर्मचारियों के साथ मिलकर उसके दस्तावेजों का उपयोग कर आईडीबीआई बैंक में उसका खाता खुलवाया। आरोप है कि महफूज ने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। जब तीन महीने बाद भी उसके खाते में लोन की पांच लाख रुपये की रकम नहीं आई तो बैंक जाकर जानकारी की। बैंक से कोई खास जानकारी नहीं मिली लेकिन आरोपितों ने उसे बताया कि बैंक अकाउंट ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद आरोपित दूसरे बैंक से लोन कराने का झांसा देते रहे। कुछ समय पहले उन्हें आरोपित के अवैध लेनदेन के बारे में पता चला तो आशंका हुई। जांच करने पर पता चला कि महफूज ने साथियों के साथ मिलकर उसके नाम से आजम इंटरप्राइजेज नाम की फर्म और उसके नाम पर अकाउंट खोल दिया। इस अकाउंट से 118.32 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है। उक्त खाते में महफूज का मोबाइल नंबर दर्ज है। जिसके चलते उसे खाते से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। आरोप है कि महफूज ने बैंक से जारी चेकबुक और एटीएम कार्ड भी अपने कब्जे में रख रखे थे। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि महफूज के साले महताब और साले के बेटे को तो जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

टीएमसी नेता की पनाह में महफूज की पुलिस ने नापी गर्दन

महफूज।

कानपुर। जाजमऊ का शातिर महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। महफूज कोलकाता में टीएमसी नेता की पनाह लिए हुए था। इसके साथ ही उसकी पत्नी और बेटे तक भी पुलिस पहुंच गई है। जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने यशोदा नगर के वासिद और अरशद से 24 लाख रुपये की लूट की थी। दोनों जाजमऊ निवासी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज और उसके खातों तक पहुंची तो ढाई साल में 1600 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो वह फरार हो गया। करीब दो माह से फरार चल रहा महफूज कोलकाता में टीएमसी नेता की पनाह में था। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद टीएमसी नेता का प्रभाव कम हुआ तो पुलिस महफूज तक पहुंच गई।

बीएसए कार्यालय में कराएं सत्यापन

कानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूहा स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) (सातवां संशोधन) नियमावली 2019 में वर्णित व्यवस्था के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक परीक्षा वर्ष 2021 (संशोधित परीक्षा परिणाम 06 सितंबर 2022) जनपद कानपुर नगर में चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त दस्तावेजों के परीक्षण के लिए 07 मई 2026 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में मूल शैक्षिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

लेखा परीक्षा समिति करेगी समीक्षा

कानपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति की प्रथम उपसमिति बुधवार को कानपुर मंडल का रिव्यू करेगी। सभापति पंकज गुप्ता के नेतृत्व में कमेटी समीक्षा करेगी। इसमें नगर निगम, केडीए, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों की समीक्षा होगी।

ऑटो नंबर से धरे सामान चुराने वाले

- नौबस्ता पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया
- कैमरे में कैद नंबर के आधार पर ऑटो जब्त की

चकेरी, संवाददाता। नौबस्ता पुलिस ने ऑटो में सवारी बन बैठकर लोगों के बैग से नकदी समेत जेवरात चोरी करने वाले गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने 28 अप्रैल को एक महिला के पर्स से रुपये व जेवरात चोरी किए थे। जांच में जुटी पुलिस को एक कैमरे से ऑटो नंबर पता चला। इसके बाद पुलिस चालक तक पहुंची और गिरोह हत्थे चढ़ गया।

नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि कानपुर देहात के डेरापुर के नकटू गांव निवासी गोपाल द्विवेदी की पत्नी अंजू ने मुकदमा कराया था कि 28 अप्रैल को वह बहन के घर जाने को नौबस्ता से कोयला नगर की ऑटो में बैठी थीं। उसमें चालक के अलावा दो लोग पहले से बैठे थे। दोनों आरोपितों ने उनके बैग की चेन तोड़कर 25 हजार रुपये, एक जोड़ी झुमकी, दो अंगूठी चोरी कर ली थीं। पुलिस ने ऑटो नंबर के आधार पर मालिक को पकड़ा। ऑटो मालिक ने बताया कि ऑटो किराये पर बर्रा छह का गौरव मेहता उर्फ रोमी चलाता है। पुलिस ने गौरव को पकड़ कर पूछताछ की और साथी विजय और अनूप को पकड़ा। आरोपितों के पास से दो झुमकी, दो अंगूठी और 20,560 बरामद हुए। थाना प्रभारी ने बताया कि अनूप ने चोरी के रुपये से 15 दिन पहले नई स्कूटी फाइनेंस पर खरीदी थी।

राजबीर गैंग के पास 250 से ज्यादा खाते, 53 फ्रीज किए

खुलासा

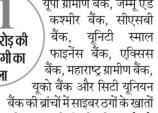
आरोपी राजबीर और बैंककर्मी।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बर्रा पुलिस ने राजबीर पर 25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ ही उसका अकाउंट फ्रीज कराने की शुरुआत कर दी है। अब तक उसके 53 खाते फ्रीज कराए जा चुके हैं। इनमें से 13 खातों में पुलिस को 2.11 करोड़ की रकम मिली है। पांच बैंकों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इसमें छह माह के दौरान ट्रांजेक्शन, सीसीटीवी फुटेज, अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि राजबीर के गैंग के पास 250 से ज्यादा खाते हैं।

01
सौ 25 करोड़ की साइबर ठगी का मामला

बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 125 करोड़ की साइबर ठगी में तीन बैंकों के पांच कर्मचारियों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में यूपी ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सीएसबी बैंक, यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, यूको बैंक और सिटी यूनियन बैंक की ब्रांचों में साइबर ठगों के खातों की जानकारी मिली थी। इनमें से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक समेत पांच बैंकों को नोटिस भेजकर डिटेल मांगी गई है। सीएसबी बैंक स्वरूप नगर में 53 खाते भी फ्रीज कराए गए हैं। सीएसबी बैंक में उसके 53 में 13 बैंक खातों में 40 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन मिले हैं। हालांकि सारा पैसा निकाल लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि राजबीर गैंग के पास 250 से ज्यादा बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। राजबीर पूरे गैंग से हर माह एक तय तारीख पर कन्नौज के एक होटल में मिलता था।

जांच में वीडियो मिले हैं: बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों के मोबाइलों की जांच में कई वीडियो मिले हैं। एक वीडियो कन्नौज के एक होटल का है। पकड़े जाने से पहले सभी 19 अप्रैल को होटल पहुंचे थे। वहीं, शातिरों के 40 बैंक खातों में पुलिस को 50 रुपये से 500 तक की रकम मिली है। दो अकाउंट ऐसे हैं जिसमें जीरो राशि है।

बिधनू में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर चोरी

चकेरी, संवाददाता। बिधनू के टेढ़ापुरवा कटुई गांव में रविवार तड़के चोर गांव के बाहर डबल पोल पर रखे 25 केवीए का ट्रांसफार्मर ही चुरा ले गए। इससे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित चल रही है। वहीं, दक्षिणांचल विद्युत आपूर्ति विभाग की ओर से बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

दक्षिणांचल विद्युत उपकेंद्र बिधनू के बेहटा ग्रामीण फीडर पर टेढ़ापुरवा कटुई गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। इससे गांव को बिजली की आपूर्ति की जाती थी। रविवार तड़के अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी कर ले जाने से गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अवर अभियंता करन सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नया ट्रांसफार्मर मिलते ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। बिधनू थाना प्रभारी तेजबहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।

U.P. State Road Transport Corporation
Parivahan Bhavan, Tehri Kothi 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)
NIT No. -166 PPPCELL/2026-65PPP/2023 VOL-2 Dated 04/05/2026
CORRIGENDUM
DEVELOPMENT OF BUS STATIONS ON PPP MODEL

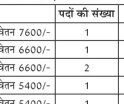

Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) is pleased to announce the publication of a corrigendum in the tender for selection of developers for the **development of bus stations under UPSRTC on a PPP model.**

Prospective bidders can download the corrigendum document containing response to the queries received through Pre Bid Meeting. The corrigendum is available for download on the official website: **https://www.upsrtc.up.gov.in and https://etender.up.nic.in**

Submission Deadline
All interested and competent bidders are requested to submit their proposals no later than **15:00 hrs. IST on June 8th, 2026**

Managing Director

एक दिन में ही एक दुकानदार ने बेची 236 बोरी खाद

कानपुर। बार-बार चेतावनी और निर्देशों के बावजूद खाद की कालाबाजारी और मनमानी नहीं रुक रही है। पतारा में एक दुकानदार ने एक दिन में 236 बोरी खाद बेच दी। अप्रैल माह के शुरूआती 10 दिनों में 100 फीसदी खाद की बिक्री होने पर शासन ने मनमानी उर्वरक बिक्री पर रोक लगाई थी। निर्देश दिया गया था कि दुकानदार एक दिन में केवल 10 बोरी यूरिया और 8 बोरी डीएपी ही बेच सकता है।

शासन स्तर से एक अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच खाद बिक्री की जांच कराई गई तो पता चला कि जिले में अप्रैल में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 10 दिनों में दोगुनी खाद की बिक्री हो गई। एक दिन में दुकानदार 10 बोरी यूरिया और 8 बोरी डीएपी से ज्यादा की बिक्री नहीं कर पाएगा। पतारा ब्लाक के भदवारा स्थित गुप्ता खाद भंडार ने एक दिन में 236 बोरी यूरिया बेच दी। कल्याणपुर ब्लाक के सिंहपुर कछार स्थित एम पैक्स ने 20 बोरी, शिवराजपुर के भैसऊ स्थित एम पैक्स ने 12 बोरी, भीतरगांव के पसीखेड़ा एम पैक्स में 17 बोरी और सरसौल ब्लाक के माडीलवा पहलेपुर सोसाइटी में 20 बोरी खाद बेची। जिलाकृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।

सं. एफ-ए.12034/3/2025-ई-III अनुभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग - नई दिल्ली, 110016
www.ncert.nic.in

विज्ञापन संख्या 01-2025

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
रिक्ति सूचना

एनसीईआरटी मुख्यालय नई दिल्ली और देश भर में स्थित इसकी संघटक इकाइयों में समूह श्रेणियों 'सी' और 'बी', 'ए' को अन्यत्र सेवा शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस अवधि को सालसाल आगे बढ़ाया जा सकता है-दर-I विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	समूह	पद का नाम	वेतनमानस्तर/	पदों की संख्या	नियुक्ति का स्थान
1.	ए	मुख्य उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
2	ए	कला अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
3	ए	व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	आरपीडीसी अहमदाबाद और गुवाहाटी
4	ए	सहायक उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5	ए	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
6	ए	वरिष्ठ अभियंता	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	सीआईटी, नई दिल्ली
7	बी	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	2	एनआईई, नई दिल्ली
8	बी	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	एनआईई, नई दिल्ली
9	बी	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	प्रकाशन प्रभाग पद (अंग्रेजी-1, हिंदी-1), नई दिल्ली
10	बी	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	एनआईई, नई दिल्ली
11	बी	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
12	सी	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (एनआईई), नई दिल्ली
13	सी	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	एनआईई, नई दिल्ली
14	सी	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	9	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
15	सी	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
16	सी	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	एनआईई, नई दिल्ली

आयु सीमा: अधिकतम वर्ष 56

पात्र और इच्छुक अधिकारी अनुलग्नक-I के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

पूरा आवेदन पत्र इस विज्ञापन के राजपत्र समाचार में प्रकाशन की तिथि से **30 दिनों** के भीतर अवर सचिव, स्थापना-III, अनुभाग, एनसीईआरटी, **श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016 के पते पर पहुँच जाना चाहिए।** निर्धारित तिथि के बाद अथवा अपेक्षित दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

पदों, पात्रता शर्तों, वेतनमान और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट **www.ncert.nic.in** के अंतर्गत > घोषणाएँ> रिक्तियाँ > गैर-शैक्षणिक पर उपलब्ध हैं।

सीबीसी 21104/12/0001/2627

ई-नीलामी विक्रय सूचना
सरफेसी अधिनिम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जगा पूंजी

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित विशेष आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
सी. पी. मिशन कम्पाउण्ड शाखा, राज एस्टेट, ग्वालियर रोड, राधिका मंडपम के सामने, झांसी (उ.प्र.), पिन कोड-284003			
1.	**ऋणी:** श्री जगत सिंह पुत्र नत्थू सिंह **सह-ऋणी:** श्री अशोक सिंह पुत्र श्री जगत सिंह **जमानतकर्ता:** श्रीमती ममता देवी पत्नी अशोक सिंह **मांग सूचना दिनांक: 22.08.2025** **राशि: रु. 9,01,296.94** + ब्याज दिनांक 22.08.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 03.11.2025/सांकेतिक**	सभी भूमि एवं भवन स्थित अराज़ी संख्या 1145 का प्लॉट, मौजा लहरिया आबादी/मोहल्ला दीन दयाल नगर तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 70.84 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** विक्रेता श्रीमती मंजू दत्ता का प्लॉट, **पश्चिम:** श्रीमती गोमती का मकान, **उत्तर:** 15 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण:** वर्मा जी एवं भगवती प्रसाद का प्लॉट	रु. 20.46 रु. 2.04 रु. 25,000/-
2.	**ऋणी:** श्री संतोष विश्वकर्मा पुत्र पुक्कू लाल **सह-ऋणी:** श्रीमती किरण विश्वकर्मा पत्नी संतोष कुमार **जमानतकर्ता:** श्री मोती लाल कुशवाह पुत्र स्व0 राम प्रसाद कुशवाह **मांग सूचना दिनांक: 10.05.2019** **राशि: रु. 7,87,553.56** + ब्याज दिनांक 10.05.2019 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 02.08.2019/सांकेतिक**	सभी भूमि व भवन स्थित दादियापुरा प्रथम, मद्रासी कॉलोनी, तहसील एवं जिला झांसी, मालिक: किरण देवी कुशवाह पत्नी श्री संतोष विश्वकर्मा, क्षेत्रफल: 795 वर्ग फीट, **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती कलावती मिश्रा एवं अन्य का मकान, **पश्चिम:** मक्खन लाल विश्वकर्मा का मकान, **उत्तर:** बाउण्ड्री वॉल महाकालेश्वर मंदिर, **दक्षिण:** रास्ता 15 फीट	रु. 14.57 लाख रु. 1.45 लाख रु. 25,000/-
झाँसी शाखा, प्लॉट सं. 331/2-331/बी 1 झोकन बाग, नारायण धर्मशाला के पास, पी.पी. प्लाजा, प्रथम तल, निजी दुकान सं. एफ-2, झाँसी (उ.प्र.), पिन कोड-284001			
3.	**ऋणी:** 1. श्री राघव वर्मा पुत्र श्री नारायण दास वर्मा, 2. श्री रवि प्रकाश सोनी पुत्र श्री कैलाश नारायण सोनी **मांग सूचना दिनांक: 29.08.2022** **राशि: रु. 26,64,789.99** + ब्याज दिनांक 29.08.2022 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 21.11.2022/सांकेतिक**	सभी भूमि एवं भवन स्थित मकान संख्या 75 1/2 पुराना, 102, नया मोहल्ला, नरसिंह राव तोरिया, तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 114.77 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती मिथला देवी त्रिपाठी का मकान, **पश्चिम:** नत्थू रायकवार का मकान एवं चबूतरा, **उत्तर:** रामदास पहलवान का मकान, **दक्षिण:** सामान्य 1.06 मीटर चौड़ी रोड	रु. 31.31 रु. 3.13 रु. 25,000/-
मानिक चौक शाखा: डॉ. दयासागर कम्पाउण्ड, मानिक चौक, झाँसी-284002, उत्तर प्रदेश			
4.	**ऋणी:** मेसर्स वर्तिका ट्रेडर्स **ऋणी/प्रोपराइटर:** श्रीमती कल्पना पत्नी श्री विकास सेन **जमानतकर्ता:** श्री विकास सेन पुत्र श्री रामबाबू सेन **मांग सूचना दिनांक: 29.09.2025** **राशि: रु. 15,59,895.15** + ब्याज दिनांक 29.09.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 11.12.2025/सांकेतिक**	अचल संपत्ति का सात्मिक बंधक स्थित अराज़ी संख्या 448, मौजा सिजवाहा, झांसी शिवपुरी हाईवे के पास, तहसील एवं जिला झांसी, उत्तर प्रदेश 284003, मालिक: जमानतकर्ता श्री विकास सैन पुत्र रामबाबू सैन, कुल भूमि का क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मीटर, **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** 5.50 मीटर चौड़ा रास्ता, **पश्चिम:** श्रीमती गीता का प्लॉट, **उत्तर:** विक्रेता का प्लॉट, **दक्षिण:** अभय गुप्ता का प्लॉट	रु. 10.27 लाख रु. 1.02 लाख रु. 25,000/-
मंगरसेड़ी शाखा: ग्राम मंगरसेड़ा पोस्ट बैगांव तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव 209825			
5.	**ऋणी:** श्री मोहम्मद हारून खान पुत्र अब्दुल समद खान **जमानतकर्ता:** श्रीमती शाहीन हारून पत्नी मोहम्मद हारून खान **मांग सूचना दिनांक: 05.10.2024** **राशि: रु. 11,31,227.14** + ब्याज दिनांक 05.10.2024 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 24.01.2025/सांकेतिक**	सभी भूमि व मकान स्थित म्युनिसिपल संख्या निल मोहल्ला वज़ीरगंज परगना एवं तहसील पुरवा उन्नाव-209825, मालिक का नाम: श्री मोहम्मद हारून खान पुत्र अब्दुल समद खान, क्षेत्रफल 193 वर्ग मीटर, **विक्रय विलेख के अनुसार परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** मंजुम का मकान, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** सैयद नासिर अली का मकान, **दक्षिण:** सैयद नासिर अली का मकान	रु. 41.18 लाख रु. 4.11 लाख रु. 25,000/-
शाखा शिवाजी नगर (झांसी), जय मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एमएलबी मेडिकल गेट नंबर 1 के सामने, झांसी, पिन कोड-284128			
6.	**ऋणी:** श्री मुकेश चंद्र पुत्र राम दास **जमानतकर्ता:** श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी मुकेश चंद्र **मांग सूचना दिनांक: 19.02.2025** **राशि: रु. 12,33,328.44** + ब्याज दिनांक 19.02.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 22.07.2025/सांकेतिक**	सभी संपत्ति का सात्मिक बंधक स्थित मकान सं. मोहल्ला 314 (नया नंबर), पुराना मकान सं. 558/1, मोहल्ला छनियापुरा, तहसील एवं जिला झांसी, क्षेत्रफल 74.63 वर्ग मीटर, **मालिक:** श्री मुकेश चंद्र पाखरे पुत्र स्वर्गीय श्री राम दास **क्षेत्रफल:** 74.63 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** 3.05 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** हरि तरैतिया का मकान, **उत्तर:** रा